

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला-अजमेर  
दिनांक

कमांक / राजस्व / प्रशा. गा. सं. 2021 / केम्प लसाडिया / 2021 /

उनवान

राधा देवी पत्नि धीसालाल व बुद्धिप्रकाश वगै. पि. धीसालाल धोबी नि.केकड़ी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

-:: आदेश ::-

दिनांक 25.10.2021

प्रकरण प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प लसाडिया केम्प के दौरान प्रस्तुत किया। प्रार्थी श्री बुद्धिप्रकाश पुत्र धीसालाल धोबी निवासी केकड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच भूअभिनिरी, जूनिया, पटवारी हल्का जूनिया से करवायी गयी। तहसीलदार केकड़ी द्वारा इन्द्राज दुरुस्ती की अभिशंषा की गई है।

ग्राम एकलसिंगा के आराजी खसरा नम्बर 1143/743 रकबा 1.42 है.किस्म पे.ता.2 राधा देवी पत्नि धीसालाल, बुद्धिप्रकाश, अन्जू कोमल पिता धीसालाल कोम धोबी साकिन देह गैरखातेदार दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी में बारानी 3 दर्ज था। जिसको पेटा तालावी का अंकन कर दिया गया है जिसे दुरुस्त कर पुनः बारानी 3 किया जाने जायें। उक्त प्रकरण में अपनी जांच रिपोर्ट में वर्किंग जमाबन्दी के नामान्तकरण स. 62 दिनांक 18.6.92 से ग्राम एकलसिहा के साबिक रिकॉर्ड (जमाबन्दी) के खसरा नम्बर 381/1 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी 3 सोसर बेवा भूरा कोम धोबी की गैरखातेदारी के नाम दर्ज थी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर के अनुसार मिलान क्षेत्रफल नवीन खसरा नम्बर 1142/743 रकबा 1.42 है. किस्म पे.ता.2 कर दिया है।

अतः मुताबिक रिकॉर्ड के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1142/743 रकबा 1.42 है. पे. ता.2 के स्थान पर खसरा नम्बर 1142/743 रकबा 1.62 किस्म बारानी 3 किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। खर्चा फरिक्केन अपना-अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावों के संग अभियान शिविर स्थल लसाडिया में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी  
एवं शिक्किडी प्रशासक केकड़ी.

25/10/2021

